

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

बालूराम पिता कन्हैयालाल नाई निवासी आमली बंगला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- वादी

बनाम

- 1- लाला पिता कासीराम धाकड़ निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 2- कालू पिता रूपा धाकड़ निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 3- महावीर पिता खाना धाकड़ निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 4- रामेश्वर पिता नंदा धाकड़ निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 5- नरेश पिता बेनाथ शर्मा निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 6- मिटू पिता नाना बलाई निवासी बलाण्ड शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 7- बाबू पिता लादू बलाई निवासी आमली कलां तहसील शाहपुरा
- 8- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत आज्ञात्मक निषेधाज्ञा व दिलाये जाने भौतिक आधिपत्य

मुकदमा नम्बर 121 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 30 माह 11 सन् 2022 को जारी की गई।



(सुनिता यादव)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)